

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 329] नई दिल्ली, सोमवार, अश्विनी 25, 1899

No. 329] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 1977/ASVINA 25, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 17th October 1977

G.S.R. 648(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (1) and (2) of article 371D of the Constitution, the President hereby makes the following Order further to amend the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment), Order, 1975, namely:—

1. (1) This Order may be called the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Fourth amendment Order, 1977.

(2) It shall come into force at once.

2. In sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Andhra Pradesh Public Employment (Organisation of Local Cadres and Regulation of Direct Recruitment) Order, 1975, for the words "twenty-four months", the words "twenty-seven months" shall be substituted

[No. S. 21011/19/77-SR]

By Order and in the name of the President

MAHESHWAR PRASAD, Addl Secy

(2025)

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1977

क्रा० का० नि० 648 (अ) — राष्ट्रपति, भारत के सविधान के अनुच्छेद 371-घ के खण्ड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरो का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 से और अधिक सशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् —

1. (1) यह आदेश आन्ध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरो का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) चतुर्थ सशोधन आदेश, 1977 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त लागू होगा।

2. आन्ध्र प्रदेश लोक नियोजन (स्थानीय काडरो का गठन और सीधी भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) में "चौबीस मास" शब्दों के स्थान पर "सत्ताईस मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[स० एस-21011, 19 77-एस० आर०]

राष्ट्रपति के आदेश और नाम से

महेश्वर प्रसाद, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977